

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-377 / 2019

शमशेर अली

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, गोड्डा
3. अनुमंडल अधिकारी, गोड्डा
4. महालेखाकार (ए एंड ई), राँची
5. देविका सोरेन

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता (एस) के लिए : श्री प्रदीप कुमार वर्मा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री राहुल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

05 / 10.06.2022

याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-3791 / 2018 को बहाल करने के लिए यह आवेदन दायर किया है जिसे 21.02.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याची के वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनजाने में वह अनुल्लंघनीय समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं कर सका। वह प्रस्तुत करता है कि जैसे ही डब्ल्यू०पी० (एस०)

संख्या 3791/2018 को बहाल कर दिया जाता है, वह दो सप्ताह के भीतर इसे दूर कर देंगे।

उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ। तदनुसार, यह तत्काल याचिका की अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 3791/2018 को इसकी मूल फाइल में बहाल कर दिया जाता है। डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 3791/2018 में कार्यालय द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को दो सप्ताह के भीतर दूर कर दिया जाना चाहिए।

(आनंदा सेन, न्याया0)